



सत्यमेव जयते

एम्स/राजकोट/प्रशा./परिपत्र/2024-25/1898

दिनांक: 20 /03/2025

### परिपत्र

**विषय:** एम्स, राजकोट के अधिकारियों/कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ते की बढ़ी हुई दर प्रदान करना।

#### **संदर्भ:**

- 1) संख्या ए-27012/01/2023-कार्मिक नीति (भत्ता), भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 14 मार्च 2024।
- 2) संख्या ए-27012/01/2023-कार्मिक नीति (भत्ता), भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 25 अप्रैल 2024।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एम्स, राजकोट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) और छात्रावास सब्सिडी दरों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

#### **1. बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) और छात्रावास सब्सिडी की संशोधित दरें:**

क्र. सं.	विवरण	मौजूदा दरें (रु.) (प्रति माह निश्चित दर)	संशोधित दरें (रु.) (प्रति माह निश्चित दर)
1.	स्कूल/ठ्यूशन फीस	2,250/-	2,812.5/-
2.	छात्रावास सब्सिडी	6,750/-	8,437.5/-
3.	विकलांग (दिव्यांग) बच्चे	4,500/-	5,625/-

#### **2. शर्तें:**

- \* उपर्युक्त दरें एम्स, राजकोट द्वारा जारी दिनांक 13 जुलाई 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33 (2021/22) में निर्धारित शर्तों के अधीन लागू होंगी।
- \* सीईए और छात्रावास सब्सिडी कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक (कक्षा में नामकरण के बावजूद) तीन कक्षाओं से पहले अध्ययन करने वाले बच्चों के संबंध में एवं पॉलिटेक्निक/आईटीआई/ इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रारंभिक दो वर्षों के लिए भी स्वीकार्य है, यदि बच्चा 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद पाठ्यक्रम करता है तथा सरकारी कर्मचारी को 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन के लिए बच्चे के संबंध में सीईए छात्रावास सब्सिडी नहीं दी गई है।

#### **3. एक बार की छूट:**

- \* नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के कारण जिन कर्मचारियों के बच्चों को एक अतिरिक्त कक्षा दोहराना आवश्यक है, उनके लिए सीईए/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति में एकमुश्त छूट दी गई है।

#### **4. प्रभावी तिथि:**

- \* सीईए और छात्रावास सब्सिडी की संशोधित दरें **1 जनवरी 2024** से लागू होंगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*अंकुर प्रताप सिंह*  
अंकुर प्रताप सिंह  
लेफिटनेंट कर्नल  
उप निदेशक (प्रशासन)  
एम्स राजकोट

### प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक, एम्स राजकोट
2. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी, एम्स राजकोट
3. प्रशासनिक अधिकारी/ लेखा अधिकारी, एम्स राजकोट
4. डीडीओ, एम्स राजकोट
5. आईटी सेल इसे एम्स राजकोट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

स्थायी परिसर: ग्राम खंडेरी, तहसील- पदधारी, जिला राजकोट 360110

dda.aiimsrajkot@gmail.com